झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

CIN: U40108JH2013SGC001704

पंजीकृत कार्यालय : एस.एल.डी.सी. भवन, कुसई कॉलोनी, डोरण्डा, राँची- 834002 झा.

दूरभाष : 0651-2400804 वेबसाईट : www.jusnl.in

उपमहाप्रबंधक का कार्यालय, संचरण अंचल, हजारीबाग

अंचल कार्यालय : श्रृंगारी कॉम्पलेक्स, प्रथम तल्ला, कनहरी हिल पथ, मोंटफोर्ट विद्यालय के निकट, हजारीबाग- 825301

ई-मेल : esetcirclehzb@gmail.com

पत्रांक: 406 / उपमहाप्रबंधक / सं0 अं0, हजारीबाग दिनांक: 15 / 09 / 2022

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक,
संचरण अंचल, हजारीबाग ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल |

विषय :- 132 के० वी० सरिया –विष्णूगढ़ संचरण लाइन निर्माण हेतु 56.988 हे० वन भूमि अपयोजन के संबंध में ।

प्रसंग :- (i) आपके कार्यालय का पत्रांक – 2413; दिनांक -07.09.2022
(ii) उपायुक्त गिरीडीह का ज्ञापांक – 2091; दिनांक- 12.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक के संदर्भ में कहना है कि हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल अंतर्गत 132 के० वी० सरिया – विष्णूगढ़ संचरण लाइन निर्माण हेतु कुल 56.988 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव में गिरीडीह जिला अंतर्गत प्रस्तावित जंगल-झाड़ी भूमि (कुल 7.184 हे०) का उपायुक्त, गिरीडीह द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रसंग –ii के माध्यम से प्राप्त हो चुका है ।

अतः उपायुक्त, गिरीडीह द्वारा निर्गत जंगल-झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर 09 प्रतियों में आपके अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए समर्पित की जा रही है ।

अनु : यथोपरि

विश्वासभाजन

14.09.2022

उपमहाप्रबंधक,
संचरण अंचल, हजारीबाग

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला राजस्व शाखा)

ई–मेल :– ac-giridih@jharkhandmail.gov.in

बगोदर एवं सरिया अंचल अन्तर्गत 132 KV/DC विष्णुगढ सरिया ट्रांसमिशन लाईन हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित हस्तांतरण के संबंध में Conditional अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है :–

क्र.	अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा (हे0 में)
1	सरिया	मन्दरामो	45	110	2227	0.2560
					3767	0.5060
					3934	1.2180
2	बगोदर	अम्बाडीह	112	24	493	0.2120
					562	0.6460
		ढिबरा	115	1	827	0.4000
		देवराडीह	47	1	54	0.0040
					376	0.9990
		दोंदलो	116	128	1423	0.2000
				122	2210	0.4540
				128	2438	0.5510
		घघरा	106	64	1	0.0310
		बगोदर	107	407	1866	0.2920
		पैरिया	114	16	17	0.4530
		करम्बा	46	16	24	0.2160
					32	0.4370
					75	0.0050
					77	0.0890
					97	0.0420
					108	0.1730
कुल :–						7.1840

किस्म भूमि जंगल–झाड़ी कुल रकवा 7.1840 हे0 है। संचरण लाईन 132 के0वी0 कार्य के लिए भूमि अपयोजन हेतु Conditional अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेंगे।

15.5.m
Gaurav Kumar Singh
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd.

2. पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार उक्त भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जिला में प्रस्ताव समर्पित किया जायगा।

3. वरीय प्रबंधक, संचरण अंचल, हजारीबाग के पत्रांक 357 दिनांक 29.8.2022 द्वारा अनुरोध पत्र के आलोक में कार्यालय द्वारा प्रश्नगत भूमि की मूल्य की गणना प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने के बाद भूमि की मूल्यांकन राशि के अनुरूप प्राप्ति शीर्ष में राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।

4. प्रश्नगत भूमि की मूल्य की गणना प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने के निर्धारित अवधि के अन्दर यदि राशि विधिवत तरीके से जमा नहीं की गयी तो उक्त भूमि का Conditional अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः रद्द समझा जायेगा।

उक्त के आलोक में सम्मयक विचारोपरान्त उप महाप्रबंधक, संचरण अंचल, हजारीबाग को Conditional अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

कार्यालय अधीक्षक, जि. रा. शाखा, गिरिडीह।	अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह।

ज्ञापांक 2091 / रा० दिनांक 12 / 09 / 2022

प्रतिलिपि : उप महाप्रबंधक, संचरण अंचल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल, पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी/पश्चिमी वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कार्यालय अधीक्षक, जि. रा. शाखा, गिरिडीह।	अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह।

Gaurav Kumar Singh
Senior Manager
Transmission Division, Hazaribag
Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd.